



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042023-245429
CG-DL-E-26042023-245429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1811]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2023/वैशाख 5, 1945

No. 1811]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2023/VAISAKHA 5, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2023

का.आ. 1899(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में NH150A के किमी 187.70 से किमी 198.92 (बेंकटेश्वर कैप से डेडसुगुर कैप सेक्शन) के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल लैंड एक्जीजीशन अफसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में NH150A के किमी 187.70 से किमी 198.92 (वेंकटेश्वर कैंप से डेडसुगुर कैंप सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: रायचूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सिंधनूर					
गांव का नाम: बसापुर (D)					
1	28	निजी		80.3000000(वर्ग मीटर)	0.0080300
2	30	सरकारी	ड्राय/बिल्टअप	683.1000000(वर्ग मीटर)	0.0683100
3	32	सरकारी	ड्राय	2,151.6000000(वर्ग मीटर)	0.2151600
4	33	सरकारी	ड्राय	6,188.6000000(वर्ग मीटर)	0.6188600
5	34	सरकारी	ड्राय	8,685.6000000(वर्ग मीटर)	0.8685600
6	35	सरकारी	ड्राय	568.7000000(वर्ग मीटर)	0.0568700
7	36	सरकारी	ट्रे	6,770.5000000(वर्ग मीटर)	0.6770500
8	River	सरकारी	रिवर	12,636.8000000(वर्ग मीटर)	1.2636800
गांव का नाम: दडेसगुर					
1	29/2	सरकारी		382.8000000(वर्ग मीटर)	0.0382800
2	30	सरकारी	वेट/ड्राय	13,756.6000000(वर्ग मीटर)	1.3756600
3	32	सरकारी	वेट/ड्राय	9,534.1000000(वर्ग मीटर)	0.9534100
4	40	निजी	वेट/ड्राय	4,632.1000000(वर्ग मीटर)	0.4632100
5	44	निजी	वेट	662.2000000(वर्ग मीटर)	0.0662200
6	82	अन्य(प्राइवेट/गवर्नमेंट)	वेट	831.6000000(वर्ग मीटर)	0.0831600
गांव का नाम: कन्नारी					
1	69	निजी	वेट	143.0000000(वर्ग मीटर)	0.0143000

गांव का नाम: मालदीनी					
1	30	निजी	वैट	27.5000000(वर्ग मीटर)	0.0027500
2	31	अन्य(प्राइवेट/गवर्नमेंट)	वैट	261.8000000(वर्ग मीटर)	0.0261800
3	40	निजी	वैट	49.5000000(वर्ग मीटर)	0.0049500
गांव का नाम: सालगुंडा					
1	117	अन्य(प्राइवेट/गवर्नमेंट)	वैट	182.6000000(वर्ग मीटर)	0.0182600
गांव का नाम: सोमलापुर					
1	39	अन्य(प्राइवेट/गवर्नमेंट)	वैट/बिल्टअप	60.5000000(वर्ग मीटर)	0.0060500
कुल				68,289.5000	6.8290

[फा. सं. 12037/20/2017-KNT(P-6)/3A1]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2023

S.O. 1899(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH150A in the stretch of land from Km 187.70 to Km 198.92 (Venkateshwara Camp to Dadesugur Camp Section) in the district of RAICHUR in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, special land acquisition officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km 187.70 to Km 198.92 (Venkateshwara Camp to Dadesugur Camp Section) of NH150A in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA		District: RAICHUR			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Sindhnur					
Village: Bassapur (D)					
1	28	Private	Wet	80.3000000(Square Meter)	0.0080300

2	30	Government	Dry/Builtup	683.1000000(Square Meter)	0.0683100
3	32	Government	Dry	2,151.6000000(Square Meter)	0.2151600
4	33	Government	Dry	6,188.6000000(Square Meter)	0.6188600
5	34	Government	Dry	8,685.6000000(Square Meter)	0.8685600
6	35	Government	Dry	568.7000000(Square Meter)	0.0568700
7	36	Government	Dry	6,770.5000000(Square Meter)	0.6770500
8	River	Government	River	12,636.8000000(Square Meter)	1.2636800
Village: Dadesagur					
1	29/2	Government	Dry	382.8000000(Square Meter)	0.0382800
2	30	Government	Wet/Dry	13,756.6000000(Square Meter)	1.3756600
3	32	Government	Wet /Dry	9,534.1000000(Square Meter)	0.9534100
4	40	Private	Wet/Dry	4,632.1000000(Square Meter)	0.4632100
5	44	Private	Wet	662.2000000(Square Meter)	0.0662200
6	82	Common(Private/Government)	Wet	831.6000000(Square Meter)	0.0831600
Village: Kannari					
1	69	Private	Wet	143.0000000(Square Meter)	0.0143000
Village: Maldinni					
1	30	Private	Wet	27.5000000(Square Meter)	0.0027500
2	31	Common(Private/Government)	Wet	261.8000000(Square Meter)	0.0261800
3	40	Private	Wet	49.5000000(Square Meter)	0.0049500
Village: Salgunda					
1	117	Common(Private/Government)	Wet	182.6000000(Square Meter)	0.0182600
Village: Somlapur					
1	39	Common(Private/Government)	Wet/BuiltUp	60.5000000(Square Meter)	0.0060500
Total				68,289.5000	6.8290

[F. No. 12037/20/2017-KNT(P-6)/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.